न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2022

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी रमेशजी जाति बैरागी निवासी बानोडा हाल मु. आगल्दा तह0 बेगूँ
2. सोनू पुत्र रमेशजी जाति बैरागी निवासी बनोडा हाल मुकाम आगल्दा तह0बेगूँ
3. रेखा पुत्री रमेशजी जाति बैरागी निवासी बानोडा हाल मुकाम आगल्दा तहसील बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश पिता स्व. मोहनदास जी जाति बैरागी निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 28.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की ओर से उक्त अनवान का एक वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जो ठोस तथ्यो पर आधारित होने से अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत होगा किन्तु मूलवाद के निस्तारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण मे से प्रार्थीया सं0 1 विपक्षी सं0 1 की विवाहित पत्नी है तथा प्रार्थीगण सं0 2 व 3 विपक्षी संख्या 1 के पुत्र पुत्री संतान है। जो वर्तमान में अपने पीहर /ननिहाल आगल्दा में निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त विपक्षी सं0 1 के दूसरी पत्नी संतोषी व पुत्र पवन है जो वर्तमान में विपक्षी सं0 1 के साथ बनोडा में निवास कर रहे है।

यह कि विपक्षी सं0 1 के खातेदारी व प्रार्थीगण की एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त कब्जे की कृषि आराजीयात मौजा बानोडा पटवार हल्का जयनगर तहसील बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
437	1.8100
438	0.0900
439	0.6800
440	0.1000
441	0.3300
442	0.3300
443	0.4100
कीता–7	कुल रकबा 3.7500 हैक्टर

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर प्रार्थीगण के दादा परदादा के समय से ही चली आ रही है जो प्रार्थीगण के दादा सदाराम जी बैरागी के पश्चात प्रार्थीगण के पिता विपक्षी सं0 1 व उनके भाई बहनों के नाम पर दर्ज हुई है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर जन्म से ही हक एवं हिस्सा निहित हो चुका है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजीयात है जिसमें प्रतिवादी/विपक्षी सं0 1 व उसके भाई बहनो का 1/2 हिस्सा निहित है मे से विपक्षी सं0 1 का 1/12 हक हिस्सा निहित है।

यह कि उक्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं0 1 क संयुक्त खातेदारी नाम से अंकित है इसलिए विपक्षी सं0 1 उक्त आराजीयात में हम प्रार्थीगण के निहित पुश्तैनी हक हिस्से से महरूम करने की नियत से व दुर्भावनावश उक्त आराजीयात को विकय/हकत्याग/दान/वसीयत विलेख आदि के माध्य से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जिनमें प्रार्थीगण के सोतेले भाई सोतेली माता भी सम्मिलित है के नाम अंतरित करना चाहता है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी होन से इसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो चुका है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

यह कि प्रार्थीगण को विपक्षी सं0 1 द्वारा भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम पर अंतरित करने का प्रयास करने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने विपक्षी सं0 1 को प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अंतरित नहीं करने एवं प्रार्थीगण का हिस्सा हक प्रार्थीगण के नाम नामांतरित करने को कहा तो विपक्षी सं0 1 ने इन्कार कर दिया एवं धमकी दी कि उक्त आराजीयात में निहित हक हिस्से 1/24 से विपक्षी सं0 1 वंचित कर देगा तो हम प्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान होगा तथा व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी इस हेतु विपक्षी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि विपक्षी सं0 1 द्वारा जबरन खाता अपने नाम पर होने के आधार पर यदि भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम पर अंतरित कर दी गई तो हम प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा तथा हम प्रार्थीगण हमारे हक हिस्से भी महरूम हो जायेंगे जिससे भारी आर्थिक व कानूनी क्षति होगी। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी होकर हम प्रार्थीगण का वर्णित आराजीयात में जन्म से ही हक अधिकार निहित हो चुका है।

यह कि विपक्षी सं0 2 उप पंजीयक है जिनके समक्ष विपक्षी सं. 1 द्वारा भूमि अन्तरण बाबत विक्रयपत्र दानपत्र हकत्याग या वसीयत कोई भी विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए विपक्षी सं0 13 को भी निर्देशित किया जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी सं0 2 विपक्षी संख्या 1 के द्वारा पेश किये जाने वाले ऐसे किसी विलेख का पंजीयन न तो स्वयं करें और न ही अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी से करावें इस हेतु निर्देश प्रदान किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं0 1 वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण के निहित हक हिस्सा आराजी 1/24 को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करें एवं न ही ऐसा कोई विलेख विपक्षी सं0 2 के यहां प्रस्तुत करें यदि दौराने वाद विपक्षी सं0 1 द्वारा ऐसा कोई विलेख विपक्षी सं0 2 के यहाँ प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसका पंजीयन विपक्षी सं0 2 न तो स्वयं करें न ही अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी से करावें इस हु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षी सं0 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गयें। जबकि विपक्षी सं0 2 उप पंजीयक बेगूं जो कि तहसीलदार बेगूं ही है प्रकरण में उपस्थित आए उन्हे इस प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु कई बार अवसर व अंतिम अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब फोर्मल पक्षकार होने से प्रस्तुत नहीं किया गयां।

प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्तअधि0 पर बहस एक तरफा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए वर्णित कृषि आराजीयात को प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होना बताते हुए प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से तक कृषि आराजी को विपक्षी संख्या 1 द्वारा खुर्द नहीं किये जाने हेतु व उसका पंजीयन उप पंजीयक बेगूं द्वारा नहीं किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस तथा निर्वाचन नामावली की छायाप्रति का अवलोन किया गया। प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीन मुख्य बिन्दुओं पर दस्तावेजी प्रमाण के अनुसार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::–

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बानोडा पटवार हल्का जयनगर सं0 2078 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 कीता–7 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 रमेश पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/12 अन्य सहखातेदारान के साथ साथ दर्ज अंकित है। वर्णित कृषि आराजीयात का नक्शाट्रेस की छायाप्रति संलग्न की है। साथ ही नकल निर्वाचन नामावली की प्रस्तुत की है जिसमें मोहनदास पिता सदाराम, कंचन पत्नी मोहनदास, रामेश्वर पुत्र मोहन, कमला पत्नी रामेश्वर का नाम अंकित है। जमाबंदी में रमेश के पिता का नाम मोहनदास है। वर्णित कृषि आराजीयात का पुश्तैनी होने हेतु ठोस प्रमाण यथा नकल जमाबंदी जिसमें यह कृषि आराजी में मोहनदास पिता सदाराम के नाम पर यह आराजी दर्ज हो प्रस्तुत करनी चाहिए थी, किन्तु अन्य सहखातेदारान के साथ साथ कंचनबाई पत्नि स्व. मोहनदास, मधु पुत्री मोहनदास, शोबाबाई पुत्री मोहनदास व संतोषबाई पुत्री मोहनदास के नाम भी दर्ज होने से वर्णित कृषि आराजीयात पुश्तैनी होना माना जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

चूंकि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की पत्नी, पुत्र व पुत्री है। तथा कृषि आराजीयात उनकी पुश्तैनी कृषि आराजीयात होने से उनका इस आराजी में जोश्नलशेयर जन्म से ही होता है। विपक्षी सं0 1 द्वारा यदि अपने हिस्से को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने अधिकारो से वंचित हो सकते है। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही विपक्षी सं0 1 न्यायालय में उपस्थित आए है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता हैं।

2–सुविधा का संतुलन एवं आर्थिक क्षति :–

मौजा बानोडा पटवार हल्का जयनगर की प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी संख्या 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 कीता–7 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 रमेश पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/12 अन्य सहखातेदारान के साथ साथ दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण विपक्षी सं0 1 के पुत्र व पुत्री है तथा वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजीयात होने से हिन्दु उत्तराधिकारिता नियम के तहत उनका भी इस आराजी में उनके पिता के हक हिस्से तक की भूमि में अधिकार निहित है। जिस पर वे काबिज होकर काश्त कर सकते है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा उनके हिस्से की 1/12 आराजी को खुर्द बुद कर दिया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण उनको प्राप्त होने वाले हिस्से से महरूम हो जावेगे तथा उन्हे आर्थिक क्षति होगी एवं प्रार्थीगण का वादपत्र न्यायालय में लाना व्यर्थ होकर अनावश्यक मुकद्मेबाजी बढेगी । इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होकर आर्थिक क्षति भी प्रार्थीगण को होती हैं। यह दोनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

प्रार्थना पत्र निस्तारण के तीनों ही मुख्य बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे दस्तावेजी प्रमाण से सिद्ध हुए है, जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाने व विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे मौजा बानोडा पटवार हल्का जयनगर की प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी संख्या 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 कीता–7 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर भूमि मे विपक्षी संख्या 1 रमेश पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/12 को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करें एव नही ऐसा कोई विलेख विपक्षी संख्या 2 के यहां प्रस्तुत करें। ना ही विपक्षी सं0 2 भी विपक्षी सं0 1 के हिस्से की भूमि का पंजीयन ना करें।

आदेश आज दिनांक 28.11.2024को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मानस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं